संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये
सतपुडा भवन भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक–9 /नर्सिग/सेल–3 /14/1118 भोपाल, दिनांक 15/11/2014

आदेश

एल.एच.व्ही./ए.एन.एम./एम.पी.डब्लू.(महिला) पद से विभागीय उम्मीदवार के रूप मे जनरल नर्सिग प्रशिक्षण कोर्स हेतु चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर, आई.एन.सी. दिल्ली द्वारा पुनरिक्षीत पाठ्यक्रम के मापदंड के अनुरूप विभागीय प्रतिक्षारत उम्मीदवारों को साढ़े तीन वर्षीय प्रशिक्षण में 6 माह की छूट देकर जनरल नर्सिग प्रशिक्षण 3 वर्ष मे पूर्ण करने हेतु चयन किया गया है। विभागीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित उम्मीदवारों को निम्न शर्तो के अनुसार चयनित कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गया प्रशिक्षण केन्द्र आवंटित किया जाता है :–

क्र.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	जाति	वर्तमान पदस्थापना स्थान	आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र का नाम
1.	श्रीमति तरजीन बानो	सामान्य वर्ग	उप स्वास्थ्य केन्द्र तलाड़ मझौली, जिला जबलपुर	मेडिकल कालेज जबलपुर
2.	श्रीमति सीमा जोशी	सामान्य वर्ग	सामुदायिक स्वा. केन्द्र ठिकरी, जिला बड़वानी	एम.वाय. चिकि. इन्दौर
3.	श्रीमति शारदा मकवाना	अनुसूचित जनजाति	पी.एच.सी. रामा, जिला झाबुआ	जी.एन.एम.प्रशि.के. झाबुआ
4.	श्रीमति लीला पड़वार	अनुसूचित जनजाति	उपस्वास्थ्य केन्द्र प्यासी, जिला अनुपपुर	जी.एन.एम.प्रशि.के. नरसिंहपुर

उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तो पर जनरल नर्सिग प्रशिक्षण हेतु पात्रता होगीः–

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन उपरोक्त चयनित उम्मीदवारों को दिनांक 19.11.2014 तक निम्नलिखित शर्त के आधार पर कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें।
2. चयनित उम्मीदवार का मध्यप्रदेश नर्सेस कौसिंल का जीवित पंजीयन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र (गर्भवती महिला को अस्थायी अनफिट माना जायेगा।) कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने से पूर्व वर्ष 2014 का पंजीयन एवं चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में अंकित जाति की पुष्टि करने के उपरांत कार्यमुक्त किया जावे।
3. उम्मीदवार दिनांक 22.11.2014 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होगे। नियत तिथि में उपस्थित नही होने वाले कर्मचारियों का चयन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा एवं एक वर्ष का अवकाश पात्रता अनुसार स्वीकृत कराना होगा। 2 वर्ष के अध्ययन अवकाश का आवेदन पत्र सी.एम.ओ. /सी.एस. के माध्यम से प्रस्तुत करें एवं व्यक्तिगत खाते में शेष अवकाश की जानकारी पृथक–पृथक अवकाश फार्म में अभिमत सहित प्रस्तुत करें।
5. चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण के बाद कम से कम 3 वर्ष की शासकीय सेवा स्टाफ नर्स के पद करना अनिवार्य है। इस आशय का अनुबंध(बाण्ड) करने के पश्चात् ही कार्यमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. चयनित उम्मीदवार यदि प्रशिक्षण किसी भी कारणवश बीच मे छोड देता है तो उसको आगामी 5 वर्षो तक प्रशिक्षण हेतु आवेदन करने की पात्रता नही होगी (संबंधित कार्यालय द्वारा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका मे प्रशिक्षण के लिये भेजने की प्रविष्ठी आवश्यक रूप से कर ली जावे)।
7. चयनित उम्मीदवार को होस्टल मे निवास करने की स्थिति में होस्टल के नियमो का पालन करना होगा अन्यथा उसके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. सम्पूर्ण प्रशिक्षण अवधि में भारतीय उपचर्या परिषद् के नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नियमित उपस्थिति अनिवार्य।

9. प्रशिक्षण उपरान्त उम्मीदवारों की पदस्थापना प्रदेश के किसी भी स्वास्थ्य संस्थाओं में स्टाफ नर्स के रिक्त पद पर की जावेगी। रिक्त पद उपलब्ध होने तक उन्हें अपने पूर्व पद पर ही कार्यरत रहना होगा एवं इस संबंध में किसी प्राकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जावेगा।

10. चयनित उम्मीदवार को निर्धारित गणवेश (यूनिफार्म) पहनना अनिवार्य होगा।

11. प्रशिक्षण अवधि मे समान्यतः कोई भी अवकाश देय नही होगा।

12. प्रशिक्षण के उपरांत रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल मध्यप्रदेश द्वारा परिक्षायें आयोजित की जावेगी जिसके लिए जो भी शुल्क निर्धारित होगा, वह देय होगा।

06 (डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

पृ0क्र09 / नर्सिग / सेल–3 / 14 / 1119

भोपाल, दिनांक 15 / 11 / 2014

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय संयुक्त संचालक, जबलपुर, इन्दौर, रीवा स्वास्थ्य सेवाऐं मध्य प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जबलपुर, बड़वानी, झाबुआ, अनुपपुर मध्य प्रदेश की और प्रेषित कर लेख है कि आदेश में दर्शायी गई शर्तो का पालन करते हुए समय–सीमा में कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. प्राचार्य जनरल नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्र, एम.वाय. चिकि. इन्दौर, मेडिकल कालेज जबलपुर, जी.एन.एम.प्रशि.के. झाबुआ, जी.एन.एम.प्रशि.के.नरसिंहपुर नर्सिंग स्कूल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपस्थित उम्मीदवारों के निम्न मूल प्रमाण पत्रों का पूर्णरूप से परीक्षण करने की पश्चात् ही उपस्थित करवायें :–
   - 10+2 12 वीं की उत्तीर्ण अंक सूची एवं जाति प्रमाण पत्र।
   - जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र (फिटनेस)।
   - महाकौशल नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउन्सिल में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र 2014 की स्थिति में।

   उपरोक्त उम्मीदवारों में से जो उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक उपस्थित नही होते है। ऐसे अनुपस्थित एवं उपस्थित उम्मीदवारों की जानकारी उपसंचालक(नर्सिग), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र. को पत्र वाहक, ई–मेल या फेक्स द्वारा तत्काल भेजे।
4. रजिस्ट्रार महाकौशल नर्सस रजिस्ट्रेशन कौसिल गोवन्तिका परिसर तीसरी मंजिल बारह दफतर के पास जवाहर चौक भोपाल मध्यप्रदेश।
5. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर आदेश प्रसारित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित संस्था प्रभारी / संबंधित की और पालनार्थ।
7. आदेश नस्ति।

(डॉ. जे.एल.मिश्रा)
संचालक(नर्सिंग)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश